भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मन्त्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 1997

अधिसूचना

(आयकर)

का.आ.सं. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा " वर्ल्ड ऑफ नार्थ इण्डिया एसोसिएशन, नई दिल्ली " को कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात :-

(i) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने हेतु इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(ii) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभों के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो, तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

(एच.के. चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. 10274 (फा0सं0 197/3/97-आ.क.नि.1)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड,